

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 - 526 / 2025

अनवान : -

- 1 गुरसेवक सिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द त0 टिब्बी।
वादी

बनाम


- 1 अजायबसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द त0 टिब्बी।
2 गुरमीत सिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द त0 टिब्बी।
3 सर्वजीतकौर कौर पुत्री अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी भंगु त0 व जिला
सिरसा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री सुभाष गर्ग वादी एवं श्री करनैल सिंह प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर चक 8 एसएलडब्ल्यू के खाता सं0 68/81 की कुल 3.947है0 में प्रतिवादी सं0 1 अजायबसिंह के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा में से 0.506है0 भूमि का खातेदार काश्तकार वादी गुरसेवक सिंह को घोषित किया जाता है व इसी अनुसार चक 8 एसएलडब्ल्यू के खाता सं0 68/81 में प्रतिवादी सं0 1 अजायबसिंह का हिस्सा कम किया जावे। इसी प्रकार चक 1 एनडीआर के खाता सं0 70/44 की कुल 0.962है0 में हरदीपकौर के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा में हरदीपकौर पत्नी अजायबसिंह का नाम कलमजन करते हुए वादी गुरसेवकसिंह व प्रतिवादी सं0 2 गुरमीतसिंह को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक...14/01/26.....को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।




उपखण्ड (अधिकारी टिब्बी)
पदेन महायुक्त कलेक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़